सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 33/2016 अपील
पंजीयन दिनांक– 04–04–2016
निर्णय दिनांक – 04.12.2017

1. श्री बंशीलाल पिता अमरा जी बलाई, निवासी लाम्बोड़ी, तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद।
2. श्री भेरुसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी मावा का गुड़ा, तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. मींरा बाई पिता देवीलाल पत्नी गल्लाजी बलाई, निवासी केसा गुड़ा, तहसील भीम, जिला राजसमंद।
2. केसर पिता देवीलाल पत्नी भीमराज बलाई, निवासी चाट का गुड़ा, तहसील भीम, जिला राजसमंद।
3. झमकू बाई बेवा देवीलाल बलाई, निवासी मावा का गुड़ा, तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद।
4. सोहनलाल पिता देवीलाल बलाई निवासी मावा का गुड़ा, तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद।
5. ग्राम पंचायत उमरवास जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत उमरवास तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद।
6. राजस्थान राज्य जरियें तहसीलदार गढ़बोर जिला राजसमंद।

–रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थित–
1– श्री कमलेश चौहान – अधिवक्ता अपीलान्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड़ अधिकारी कुम्भलगढ़, प्रकरण संख्या 07/2014 निर्णय दिनांक 01.06.2015

निर्णय

दिनांक 04.12.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–76 के अन्तर्गत उपखण्ड़ अधिकारी कुम्भलगढ के प्रकरण संख्या 07/2014 निर्णय दिनांक 01.06.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्रम मावा का गुड़ा, पटवार मण्ड़ल उमरवास की आराजी नम्बर 1385 रकबा 0.06, 1386 रकबा 0.01, 1388 रकबा 0.02, 1395 रकबा 0.04 भूमि राजस्व रेकार्ड में देवा पिता नन्दा बलाई निवासी मावा का गुड़ा के नाम पर दर्ज थी। देवा पिता नन्दा बलाई की मृत्यु होने पर ग्रम पंचायत उमरवास द्वारा नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 22.07.2014 से प्रश्नगत भूमि का विरासत से सोहनलाल पिता देवीलाल 1/4, झमकू बाई बेवा देवीलाल 3/4 हिस्सा हक त्याग पत्र के आधार पर दर्ज करने स्वीकृति दी। पंजीकृत हक त्याग रेस्पों.संख्या 1 व 2 द्वारा माता श्रीमती झमकू बाई के पक्ष में किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पों.संख्या 1 व 2 ने यह कहकर कि देवा पिता नन्दा के वारिसान अपीलान्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पों. संख्या 1 व 2 है। इन चारों के नाम भूमि दर्ज होनी चाहिये थी। उक्त भूमि में से आराजी नं.1385 रकबा 0.06 रेस्पों.संख्या 3 व 4 द्वारा अन्य व्यक्ति बंशीलाल पिता अमरा जी बलाई निवासी लाम्बाडी को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दी गई। बंशीलाल द्वारा आबादी में परिवर्तन करा श्री भेरुसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी मावा का गुड़ा तहसील गढ़बोर को विक्रय कर दी गई। रेस्पों. संख्या 1 व 2 ने एवं रेस्पों. संख्या 3 व 4 ने दुरभिसंधि कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिाकारी कुम्भलगढ़ के न्यायालय में मौजूदा अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाकर नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 22.07.2014 के विरुद्ध रेस्पो.सं. 1 व 2 ने अपील पेश की गई। उपखण्ड़ अधिकारी ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर ग्रम पंचायत उमरवास का उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार गढ़बोर को रिमाण्ड़ कर निर्देशित किया गया कि देवा पिता नन्दा बलाई निवासी मावा का गुड़ा के वारिसान अपीलान्ट का नाम रेस्पों. संख्या 1 व 2 के साथ साथ माफिक हक अनुसार जोड़ा जावे व विक्रय शुदा भूमि में विकेता रेस्पों. संख्या 1 व 2 के हिस्से की हद तक का विक्रय ही मान्य होगा। तद्नुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही किये जाने

का आदेश दिनांक 01.06.2015 पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया एवं तहत का अभिलेख मंगाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट्स की एक तरफा बहस दिनांक 20.11.2017 को सुनी गई।

अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 एवं प्रार्थना पत्र धारा–5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र के साथ पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं बाद निर्णय रेस्पों. द्वारा बताये जाने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार करा अपील जानबूझ कर विलम्ब नहीं किया है। अतः जानकारी के अभाव में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि में शुमार फरमाया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का कथन किया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दौहरात हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील की कोई जानकारी अपीलान्ट्स को नहीं थी। अपीलान्ट को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि अपील पेश करते समय रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2 को यह जानकारी थी कि रेस्पों. संख्या 3 व 4 ने उक्त भूमि अपीलान्ट संख्या 1 को विक्रय कर दी। फिर भी उसे पक्षकार बनाये बगैर न केवल अपील पेश कर दी बल्कि आपसी सहमति से रेस्पों. संख्या 1 से 4 ने मिलकर अपील स्वीकार करा ली गई। जो विधि के विपरित होने से निरस्त योग्य है। रेस्पों. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई, उक्त भूमि में रेस्पों.संख्य 1 व 2 ने रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख दिनांक 18.02.2014 को रेस्पों. संख्या 3 व 4 के पक्ष में निष्पादित किया था और दिनांक 18.02.2014 को निष्पादित हक त्याग विलेख विधिवत कार्यालय उपपंजीयक गढ़बोर के यहॉ पंजीबद्ध करवाया गया। इस तथ्य को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पों. संख्या 1 व 2 ने अपील पेश की तथा रेस्पों. संख्या 3 व 4 ने भी अपने पक्ष में उक्त दस्तावेज निष्पादित होने के उपरान्त भी अपील में किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उक्त तथ्यों को लाया गया और आपसी सहमति से अपील मंजूर कराकर अपीलान्ट को विक्रय की गयी भूमि के हक

अधिकार से वंचित करने के लियें अपने पक्ष में खोले गये नामान्तरकरण के तथ्यों को छिपाकर अपील मंजूर करवायी है जो विधि के विपरित है। आगे यह भी बताया कि रेस्पों. संख्या 1 व 2 ने सिविल वाद न्यायालय सिविल जज कुम्भलगढ़ में मींरा बनाम झमकू वगैरह के अनवान से प्रस्तुत कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 12/2014 ई0 दी0 एवं 14/2014 मुं0 दी0 दर्ज होकर वर्तमान में विचाराधीन है। सिविल न्यायालय में वाद के विचारण तथ्य छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुतकर दी , जबकि रेस्पों. संख्या 1 से 4 को यह जानकारी है कि वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट को विक्रय की जा चुकी है। भूमि आबादी में रुपान्तरण हो चुकी है और रुपान्तरकरण के बाद रेस्पों.संख्या 2 को विक्रय भी की जा चुकी है। रुपान्तरण का नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 23.09.2014 को स्वीकृत हो चुका है। और भूमि बाद नामान्तरकरण अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा एक हिस्सा अपीलान्ट संख्या 2 के पक्ष में विक्रय कर अन्तरण किया जा चुका है। अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार है। जिन्हें सुने बगैरह आलोच्य आदेश पारित किया गया है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.06.2015 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 एवं धारा–5 मयाद अधिनियम का अपीलान्ट द्वारा बताये तथ्यों एवं शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। यह तथ्य सही है कि हक त्याग कर्ता के नाम पर भूमियॉ दर्ज ही नहीं हुई तो हक त्याग कैसे किया तथा ग्रम पंचायत द्वारा इस संबंध में कोई विस्तृत जॉच नहीं किया जाना भी अभिलेख से प्रतीत होता है। कथित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 22.07.2014 स्वीकृत होने के पश्चात रेस्पों. संख्या 3 व 4 द्वारा वादग्रस्त भूमि बंशीलाल पिता अमराराम बलाई निवासी लाम्बोडी को विक्रय कर दी गई। जबकि विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम का अंकन किया जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में उपखण्ड़ अधिकारी, कुम्भलगढ़ द्वारा प्रकरण तहसीलदार गढ़बोर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया कि देवा पिता नन्दा बलाई निवासी मावा का गुड़ा के सभी वारिसान का माफिक हक अनुसार नाम जोड़ा जावे व विक्रय शुदा भूमि में विक्रेता रेस्पों. संख्या 3 व 4 के हिस्से की हद तक का विक्रय ही मान्य

होगा। तद्नुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2015 में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। उपखण्ड़ अधिकारी, कुम्भलगढ़ का निर्णय दिनांक 01.06.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर